न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

श्री हवजी पिता श्री थावरा भील निवासी रूजिया पटवार हल्का दानपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. स्व.श्री लालू पिता थावरा भील निवासी रूजिया पटवार हल्का दानपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0) के वारिसान :–
   - 1/1– श्रीमती वाली पत्नी स्व. लालू भील निवासी रूजिया पटवार हल्का दानपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
   - 1/2– श्री केसु पुत्र स्व. लालू भील निवासी रूजिया पटवार हल्का दानपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
   - 1/3– श्री रायचन्द पुत्र स्व. लालू भील निवासी रूजिया पटवार हल्का दानपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
   - 1/4– श्रीमती सन्तु पुत्री स्व. श्री लालू (पत्नी श्री इसपाल निनामा) भील निवासी जहांपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
   - 1/5– श्रीमती दूदा पुत्री स्व. श्री लालू (पत्नी श्र लालू) निवासी नापला तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
   - 1/6– श्रीमती रखली पुत्री स्वत्र श्री लालू (पत्नी लसीया) निवासी दनाक्षरी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. तहसीलदार बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक 29–02–2012 प्रकरण
सांख्या 36/2004 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री भालचन्द नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/6

————————————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 06–02–2018</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी के खाते व कब्जे की भूमि वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार कूल किता–5 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम रूजिया में स्थित है। वादी व प्रतिवादी सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता थावरा के नाम वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार कूल खेत–10 रकबा 81 बीघा 8 बिस्वा भूमि इस ग्राम में स्थित थी, जो उसकी मृत्यु बाद उसके पुत्र देवा, कुशला, हवजी, राजिया, नाथू व लालू के नाम दर्ज हुई तथा बंटवाड़े में वादी के उपरोक्तानुसार तथा प्रतिवादी संख्या–1 के वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार भूमियां किता–5 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई।

आराजी नंबर 198/5 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि गलती से वादी के नाम दर्ज हो गई। जबकि यह आराजी बंटवारे में प्रतिवादी संख्या–1 को प्राप्त हुई व वही उस पर काबिज है तथा खसरा संख्या 5/3 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है, वह वादी के कब्जे में बंटवाड़े के समय से है। 25 साल पूर्व विभाजन हो चुका है, वादी का खसरा संख्या 5/3 पर 25 साल से लगातार कब्जा होने से भी वह खातेदारी का अधिकारी है। निवेदन किया कि खसरा नंबर 5/3 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा जिसका वादी विभाजन से काबिज है, उसको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाय एवं आराजी नंबर 198/5 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–1 के खाते से वादी के खाते से कम कर दर्ज की जाय।

प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाब देते हुए आराजी नंबर 5/3 पर वादी का कब्जा नहीं होने तथा भूमि स्वयं की होने का कथन किया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. ***आया प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 151/105, 156/121, 156/111, 180/8, 198/5 कुल रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा वादी के राजस्व रेकर्ड व कब्जे की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 सहोदर भाई है। 5–4–64 को थावरा की मृत्यु उपरांत खाता नामान्तरकरण खोलकर***

अमल दरामद किया गया है। खाता विभाजन भी पृथक –2 हो चुका है। खाता संख्या 198/5 खसरा नंबर वादी के दर्ज हो गया, जबकि इस पर प्रतिवादी काबिज है तथा खसरा नंबर 5/3 पर वादी काबिज है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चल रही है। जबकि कब्जा वादी का है। अतः इसी कब्जेनुसार संशोधन किया जावे। ..... *वादी*

2. *आया जो भूमि राजस्व रेकर्ड में है उसी अनुसार वादी प्रतिवादी काबिज है। प्रतिवादी ने खसरा नंबर 5/3 पर ऋण ले रखा है। कुंआ बना रखा है। अतः वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या–1 ने भी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है।* ..... *प्रतिवादी संख्या–1*
3. *आया खसरा नं. 5/3 पर प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा व रेकर्ड में प्रविष्ठि है। अतः प्रतिवादीगण की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का प्रतिवादी संख्या–1 को अधिकार है।* ..... *प्रतिवादी सं.–1/वादी*
4. *आया वादी/प्रतिवादी सं. क का कोई कुंआ बना हुआ नहीं है। ऋण भी नहीं ले रखा है। अतः स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जावे।*
5. *अनुतोष*

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार प तनकीवार निर्णय पारित करते हुए दिनांक 29–2–2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 3–5–2012 को पेश की। नकल दिये जाने में 7 दिन का विलम्ब होने के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद मानी जाकर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार की और से राजकीय अधिवक्त उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी तरीके से मौका रिपोर्ट मंगाये बिना तथा अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–2–2012 को वादी अपीलान्ट का मौका निरीक्षण का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसकी कोई रिवीजन नहीं हुई है। वैसे भी न्यायालय किसी पक्षकार के पक्ष में कब्जे के लिए साक्ष्य सृजन नहीं कर सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हमारे द्वारा पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य सबूतों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट वादी स्वयं यह कहकर आता है कि 25 वर्ष पूर्व बंटवाड़े में वादी अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी को पृथक–पृथक आराजीयात प्राप्त हुई अब वादी अपीलान्ट एक आराजी विशेष क्रमांक 5/3 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट से स्वयं के नाम करवाने तथा अपनी आराजी संख्या 198/5 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के नाम दर्ज किये जाने का वाद लेकर आया है, जो स्पष्टतया पोषणीय नहीं है। क्योंकि पूर्व विभाजन की अपील समय पर नहीं किये जाने के कारण यह वाद रेस्पोन्डेन्ट से ग्रसित रहता है तथा न्यायालयों के विभाजन निर्णयों के 25 वर्षो बाद उक्त निण्रय की अपील नहीं कर नया वाद लाना निसन्देह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग ही माना जायेगा। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–2–2012 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
.**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री हवजी पिता श्री थावरा भील बनाम **1–स्व.श्री लालू पिता थावरा भील**
निवासी रूजिया पटवार हल्का **के वारिसान :–**
दानपुर तहसील व जिला **1/1 श्रीमती वाली पत्नी स्व.लालू**
बांसवाड़ा (राज0) **भील निवासी रूजिया**
पटवार हल्का दानपुर तह.
व जिला बांसवाड़ा अन्य–5
व सरकार

अपील नं0 **17/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**29**..... माह .....**02**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**06**..... माह .....**02**..... सन् **2018.....**रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....श्री भालचन्द नागर ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....जयेन्द्र पुरोहित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–2–2012 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह ...**02**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।